

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

चरणजीत सिंह बनाम हरदीप सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर प्रकरण संख्या 24 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/150

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.04.2025	<p>प्रार्थी चरणजीत सिंह पुत्र सविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए, पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p> <p>5 5/25 आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई प्रकरण के मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीति होकर गम्बर से कप्त लेकर दायित्व वफात हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p>	नोटिस जारी 180 28/4/25

